क्रमांक 12/44 93-6 जी. एस I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल तथा सभी जिला उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक चण्डीगढ़ 25 मई 1993

विषय :—कार्यालयों में समय पर उपस्थित होने बारे।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रायः यह देखने में आया है कि सिविल सचिवालय व निदेशालयों में अनेक अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयों में अक्सर देरी से पहुंचते हैं जिससे कार्यालयों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है और सरकारी कार्य का भी काफी हर्जा होता है। मामले पर गंभीरता से विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि सभी कर्मचारी/अधिकारी समय पाबन्द रहें तथा सभी विभागाध्यक्ष स्वयं भी समयबद्धता की मिसाल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दें और समय-समय पर अपने कार्यालयों की चैकिंग करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि अगले सप्ताह सभी स्तरों पर समय की चैकिंग आरम्भ कर दी जाये तथा देरी से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

2.—इन हिदायतों की कड़ाई से पालना की जाय।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि कृपया वे स्वयं भी समयबद्धता का अनुपालन करें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी इसका पालन करायें। उनसे यह भी अनुरोध है कि समय-समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व विभागों की चैकिंग करके देरी से आने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करें।

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 12/44/93-6 जी.एस. I दिनांक 25 मई, 1993